कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19/07/2020

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–57/2020/सत्रह/एक :: दिनांक 17.07.2020 के अनुसार महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड–19 विनियम 2020 के विनियम 12 (IX) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद् द्वारा राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु फेस मास्क, होम क्वारंटाईन, सार्वजनिम स्थल पर थुकने, सोसल/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्ड अधिरोपण के लिये निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकृत किया जाता है :–

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	विभाग का नाम
1	सर्व नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी	राजस्व विभाग
2	सहायक उप निरिक्षक एवं उच्च अधिकारी	पुलिस विभाग
3	राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी	नगरीय प्रशासन विभाग
4	खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी	खाद्य विभाग
5	मण्डी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी	कृषि उपज मण्डी बोर्ड
6	पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जावे, अर्थात् :–

1. सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में – रूपये 100/–
2. सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाये जाने की स्थिति में – रूपये 100/–
3. दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग /फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में रूपये 200/–

उपरोक्तानुसार जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही किया जाये।

होम क्वारेन्टाईन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में –रूपये 1000/– जुर्माना वसुल किया जावेगा तथा पुलिस थाने में एफ.आई.आर दर्ज कराया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ0क.**10920**–ए/कोरोना सेल/ न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव छ0ग0शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्य मंत्री ,मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सचिव छ0ग0 शासन स्वास्थ्य विभाग , मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, की ओर सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ। उपरोक्त निर्देशों के अधीन कृपया अपने अधीनस्थ सहायक उप निरीक्षकों को जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्देशित करें ।
7. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला–रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उपरोक्त निर्देशों के अधीन कृपया अपने अधीनस्थ नायब तहसीलदार को जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्देशित करें ।
11. खाद्य अधिकारी रायगढ की ओर सूचनार्थ।
12. सर्व तहसीलदार, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराया जावे।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला– रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस आदेश का पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराया जावे।
15. सचिव कृषि उपज मण्डी बोर्ड रायगढ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला कार्यालय रायगढ़ को दैनिक सामाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner